

डाक प्राप्त संख्या 1957/55A/07

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग-1


दिनांक... 20/2/2007

संख्या- 16/XXXVI(1)-एक-07-184/2001-टी0सी0-1
देहरादून : दिनांक 12 फरवरी, 2007

अधिसूचना

उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं0 52) की धारा-6 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल तत्काल प्रभाव से "उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" का नाम परिवर्तित करके "उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" करते हैं।

आज्ञा से,




(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्या- 16/XXXVI(1)-एक-07-184/2001-टी0सी0-1 तददिनांक

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियम आदेश में प्रकाशित करने का कष्ट करें और अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियां अनुभाग को भी भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,

संख्या- 16/XXXVI(1)-एक-07-184/2001-टी0सी0-1 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिबन्धक, मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
- 4- सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 8- एन.आई.सी./गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(एम0 एम0 सेमवाल)
अनुसचिव,




In pursuance of the provisions of clause (3) of /Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.16 /XXXVI(1)/2007 dated 12 February, 2007 for general information.

Uttarakhand Government
Law Section-1
No. 16 /XXXVI(1)/2007-184/2001-T.C-1
Dehradun, Dated 12 Feb, 2007

Notification

In exercise of the powers conferred by Sub-section(1) of Section -6 of the Uttaranchal (Alteration of name) Act, 2006 (Act No. 52 of 2006) ,the Governor is pleased to alter the name of Uttaranchal State Legal Service Authority is to "Uttarakhand State Legal Service Authority " with immediate effect.

By Order,



(R.D.Paliwal)
Secretary,

कार्य प्रगति संख्या 1924/SLSA/07

दिनांक 17-2-2007

संख्या- 20 /XXXVI(1)/2007-2(न्याय)/07

प्रेषक,

एम0एम0सेमवाल,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1- महाधिवक्ता उत्तराखण्ड
मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

2- सदस्य सचिव
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
एफ0टी0सी0 भवन, प्रथम तल
न्यायालय परिसर, देहरादून ।

3- निबन्धक
लोक सेवा अधिकरण,
देहरादून ।

4- महाप्रशासक
233/5 नया बाजार
तल्लीताल, नैनीताल ।

5- समस्त जिला न्यायाधीश,
उत्तराखण्ड ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 12 फरवरी, 2007

विषय- उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2006 के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह में उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड किया जाना ।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र

संख्या- 95/ XXXI(13)G/07-38(12)/2007 दिनांक 07 फरवरी, 2007 (छायाप्रति संलग्न)
का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र के आलोक में कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय,



(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव,



सिमा में,

एसओ राजू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सिमा में,

- 1.अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
- 3.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 4.समस्त विभागाध्यक्ष/आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 5.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

SL-9

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक: 07 फरवरी, 2007

विषय: उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2006 के पृवृत्त होने के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह में उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-01/ XXXI(13)G/2007-22(1)/06 दिनांक 03 जनवरी, 2007 एवं पत्र संख्या- 08/XXXI(13)G/2007 दिनांक 05 जनवरी, 2007, 04/सी0यस0/XXXI(13)G/2007-22(1)/2006 दिनांक 19 जनवरी, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध समस्त अभिलेखों/निगमों/परिषदों/संस्थाओं/बोर्डों/ नाम पट्टिका/मोहर/लेटर पैड/साईन बोर्ड आदि में आदि में जहाँ-जहाँ उत्तरांचल शब्द अंकित है, उसके स्थान पर उत्तराखण्ड शब्द तत्काल उल्लिखित कर दिया जाय।

अतः उक्त शासनादेशों की ओर पुनः आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह में उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड का प्रयोग तत्काल किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(एसओ राजू)
सचिव।

संख्या- 95 (1) / XXXI(13)G/07-38(12)/2007 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, कनखल, हरिद्वार।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं परिषद रामनगर, नैनीताल।
9. स्थानिक आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
10. पुनर्गठन कार्यालय, उत्तराखण्ड, लखनऊ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. सॉर्ट फाइल।

आज्ञा से,


(के०एस०वि०)
उप सचिव।